

वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी अनुमति - पत्र

संख्या १५

दिनांक

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र


यह अनुमति केवल उम्प्रो नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या खामित्य के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्रीपुर्वीणकुमारीसिंह एवं उम्प्रोद्भुजा
सिंह पिता/पति का नाम श्री राजेन्द्रकुमारसिंह मुहस्सा क्रमांक ७००/२, अमृष्टनगर सिंकरी नवश में नवश में
दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिन्हित भवन चित्र अनुसार निर्माण
अथवा पुनः-निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक

200



कृते उपाध्यक्ष
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट:- 1- यह रवीकृति केवल पत्र पाँच वर्ष की अवधि के लिये है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत विना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित जावे पुनः निर्माण होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जावेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञानमय इमारत को अथवा पुनः निर्माण होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जावेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञानमय इमारत को अथवा पुनः निर्माण होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जावेगा।

2- इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर घड़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, वारजा, तोला, सीढ़ी, झाँप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की रवीकृति चाहे उसके साथ नवश में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जावेगी। इस निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3- मकान निर्माण से यदि नाली सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह रवागी को गृह तैयार हो जाने पर दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवरथा में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विधुत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970 का उल्लंघन किरी दफा में न होना चाहिये। यदि उपाध्यक्ष की जानवारी में ऐसे भामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5- प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को गवान के पूर्ण हो जाने की सूचना गवान रामण के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा। यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायगा कि गवान पूर्ण हो गया।

6- यह अनुमति यदि किसी कारणवश नग्नुल, प्राधिकरण अथवा जगीन्दारी उम्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दी गई हो तो वैध न मानी जावेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दें जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि रवागी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7- यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा निर्माण कार्य को विध्वंश कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।